

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार(अनुभाग-3)विभाग

क्रमांक : प. 6(5)प्र.सु./अनु.-3/2017

जयपुर, दिनांक :

3 NOV 2017

आज्ञा

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित करने हेतु श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत्त, आई.ए.एस. की अध्यक्षता में समिति का गठन समसंख्यक आज्ञा दिनांक 23.02.2017 के द्वारा किया गया था। उक्त समिति द्वारा वेतन निर्धारण के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई, जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य कर्मचारियों के लिए वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 दिनांक 01.10.2017 से प्रभावी किये गये।

उक्त पुनरीक्षण के प्रभावी होने के उपरान्त प्रशासनिक विभागों/कर्मचारी संघों/कर्मचारियों से प्राप्त ज्ञापनों का परीक्षण किये जाने हेतु श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है। समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :-

1. श्री डी.के. मित्तल - राजस्थान लेखा सेवा की हायर सुपर टाईम स्केल से सेवानिवृत्त अधिकारी।
2. श्री एम.पी. दीक्षित - राजस्थान लेखा सेवा की सुपर टाईम स्केल से सेवानिवृत्त अधिकारी।
3. संयुक्त शासन सचिव - सदस्य सचिव
वित्त (नियम) विभाग

उक्त समिति निम्न बिन्दुओं पर विचार कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी :-

- (i) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 को केन्द्रीय सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में प्रभावी किये जाने की दिनांक के संबंध में स्पष्ट सिफारिश करना तथा उक्त क्रम में अगर एरियर राशि देय हो तो उसके भुगतान-विधि की सिफारिश करना।
- (ii) प्रशासनिक विभागों/कर्मचारी संघों/कर्मचारियों से वेतनमान विसंगति के संबंध में प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों का परीक्षण केन्द्र सरकार के समकक्ष पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता भर्ती के तरीके का राज्य में विभिन्न पदों हेतु निर्धारित योग्यता, पदोन्नति के अवसरों, पदोन्नत पदों के वेतनमान, भर्ती की प्रक्रिया, कर्तव्य एवं दायित्व एवं अन्य पदों से सापेक्षता के दृष्टिगत परीक्षण कर सिफारिश करना।

- (iii) विभिन्न सेवाओं के विशेष चयन नियमों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के विशेष भत्ते की दरों का पुनरीक्षित वेतन नियम, 2017 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर विशेष भत्तों की नवीन दरों की सिफारिश करना।
- (iv) वर्तमान में देय निम्न भत्तों का निरन्तरता एवं उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर नवीन दरों की सिफारिश करना :-
प्रतिनियुक्त भत्ता, मैस भत्ता, वाहन भत्ता, धुलाई भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, कार्यालय भत्ता, वर्दी भत्ता, किट मेंटीनेन्स भत्ता इत्यादि एवं पुलिस कार्मिकों को देय विभिन्न भत्ते ।
- (v) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के साथ संलग्न अनुसूची-3 के अन्तर्गत देय विशेष वेतन की दरों का निरन्तरता एवं उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर नवीन दरों की सिफारिश करना।
- (vi) वरिष्ठ कर्मचारियों एवं कनिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में तथाकथित विसंगतियों का परीक्षण कर निवारण की सिफारिश करना।
- (vii) समसंख्यक आज्ञा दिनांक 23.02.2017 के द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में केन्द्रीय सातवे वेतन आयोग के संदर्भ में जिन बिन्दुओं पर विशिष्ट(sepcific) अनुशंषा नहीं की गई है, उनकी समीक्षा कर अनुशंषा किया जाना।

समिति का नाम वेतन विसंगति निवारण समिति होगा ।

समिति द्वारा अपनी सिफारिशें गठन के 6 माह में प्रस्तुत की जावेगी। समिति अपने कार्य की प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी।

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सुविधाएँ समसंख्यक आज्ञा दिनांक 23.02.2017 के क्रम में पूर्व में निर्धारित शर्तों के अनुसार होंगे।

समिति का कार्यालय वित्त भवन के "सी" ब्लॉक में यथावत रहेगा।


समिति का प्रशासनिक विभाग वित्त (नियम) विभाग होगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(डा. प्रेम सिंह चारण)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान जयपुर।
3. श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत्त आई.ए.एस।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
6. शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. श्री डी.के. मित्तल, सेवानिवृत्त राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी।
10. श्री एम.पी. दीक्षित, सेवानिवृत्त राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी।
11. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, वित्त (नियम) विभाग, जयपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है। (संदर्भ F.14(4)FD/Rules/2017)
12. रक्षित पत्रावली।


(कै.के.खण्डेलवाल)
अनुभाग अधिकारी